



2026:AHC-LKO:2662-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

विशेष अपील संख्या - 151 सन 2014

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश
सरकार लखनऊ एवं अन्य

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

अमर सिंह यादव

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : रमेश पांडे, अंकित पांडे, अनुभव अवस्थी, मनोज कुमार
मिश्रा

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. सुनवाई हुई।
2. यह अपील सन 2014 में रिट याचिका संख्या 1284 (एस/एस) 2012 में दिनांक 16.07.2023 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। आक्षेपित आदेश इस प्रकार है:

"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता को पहले किसी अन्य पद के लिए वेतन दिया जा रहा था, जिसे समय रहते नियमित रूप से चयनित उम्मीदवार द्वारा भर दिया गया था। याचिकाकर्ता को वर्ष 2006 से वेतन दिया जा रहा था। उसके बाद पद के अभाव में याचिकाकर्ता का वेतन रोक दिया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विद्वान् स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि पद की स्वीकृति से संबंधित मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। याचिकाकर्ता महाविद्यालय में एकमात्र सहायक शिक्षक (गणित) हैं।"

याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता ने बताया कि पद की स्वीकृति से संबंधित मामला 2009 से राज्य सरकार के पास लंबित है और पद न होने के कारण याचिकाकर्ता का वेतन रोक दिया गया है, जबकि अन्य शिक्षक श्री रमेश सिंह के लिए पद स्वीकृत हो चुका है और उन्हें वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्य को देखते हुए, प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को सहायक शिक्षक, एलटी ग्रेड के रिक्त पद के विरुद्ध वेतन का भुगतान तब तक करें जब तक राज्य सरकार पद की स्वीकृति के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले लेती या किसी नियमित रूप से चयनित उम्मीदवार की सिफारिश नहीं कर देती। राज्य सरकार इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर पद की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लेगी।"

3. रिट याचिका अभी भी लंबित है, हालांकि, अपील के साथ अभिलेख को टैग किए जाने के कारण इस पर सुनवाई नहीं हुई है। आक्षेपित आदेश को पढ़ने से ही स्पष्ट होता है कि यह एक अंतरिम आदेश है। इसके अलावा, पद की स्वीकृति से संबंधित मुद्दा 2009 से राज्य सरकार के पास लंबित बताया गया है। आज तक इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है, यह ज्ञात नहीं है। इस अपील पर कोई स्थगन नहीं था। यह भी स्पष्ट नहीं है कि आक्षेपित अंतरिम आदेश का पालन किया गया है या नहीं।

4. विद्वान् स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष मिश्रा द्वारा सूचित किया गया है कि 30.06.2011 को पद की स्वीकृति के अनुरोध को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया था, इसलिए, स्वीकृत पद के अभाव में वेतन देय नहीं है और यह आदेश दिनांक 30.06.2011 रिट याचिका में चुनौती के अधीन है, लेकिन इसका उल्लेख किए बिना अंतरिम आदेश पारित किया गया है।

5. इन परिस्थितियों में, इस अपील में किसी भी स्थगन आदेश के अभाव में 12 वर्ष बीत जाने को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि रिट याचिका अभी भी लंबित है, हम इस अपील का निस्तारण इस अवलोकन/निर्देश के साथ करते हैं कि यदि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को वेतन का भुगतान किया जा रहा है

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

और वह अभी भी सेवा में है तथा कोई अन्य कानूनी बाधा नहीं है, तो उसे वेतन का भुगतान जारी रखा जाएगा, बशर्ते कि उस रिट याचिका का अंतिम परिणाम आ जाए जिससे यह अपील उत्पन्न हुई है।

6. रिट याचिका संख्या 1284 (एस/एस) सन 2012 को 10.02.2026 को बोर्ड के पहले 10 मामलों में सूचीबद्ध किया जाएगा। हम माननीय एकल न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया इस मामले को, यदि संभव हो, तो क्रम से पहले लें और इसका निर्णय करें। रिट न्यायालय के समक्ष निर्धारित अगली तिथि पर, राज्य के अधिवक्ता रिट न्यायालय को यह भी सूचित करेंगे कि विचाराधीन पद स्वीकृत हुआ है या नहीं। सभी दलीलें रिट न्यायालय के समक्ष विचार के लिए खुली हैं।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

जनवरी 13, 2026

एम.वी.एस./-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।